न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :- 59/2020

उनवान

शंकर लाल अग्रवाल पुत्र रामजी लाल जाति महाजन नि0 मकान नं. 204, आर्य नगर, मुरलीपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. अमरनाथ पुत्र नन्दा लाल जाति ब्राहमण निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
2. प्रभूदयाल पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक : 30-9-2020

वादी की ओर से यह वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 307 के हाल आ.ख.न 1393 रकबा 0.36 है. वाके ग्राम नायन तह. शाहपुरा में स्थित है । उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी अपने हिस्से पर काबिज कास्त है तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त होकर सह खातेदार कास्तकार है तथा राज्य सरकार को लगान शामलाती रूप से अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा कभी भी वादी के कब्जे काश्त के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में पूर्व में कभी कोई दखलन्दाजी व व्यवधान कारित नहीं किया गया।

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से कई मर्तबा भूमि विवादग्रस्त का विधिवत बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाने का निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 हमेशा ही वादी को यह आश्वासन देते रहे कि आप तो अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, हम अतिशिघ्र आपसी सहमति से तकासमा करवा लेगें, जिस पर वादी ने विश्वास कर लिया। पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मन में कतई कोई बेईमानी नहीं रही थी, किन्तु अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारू कीमतों में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मन में कतई बेईमानी आने लगी हैं, तथा वे वादी को उसके कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी करने लगे हैं तथा दिनांक 11.09.2020 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने साथ कुछ दीगर व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ठ भू–भाग की नाप जौख करने लगे, जब वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने कहा कि वे भूमि विवादग्रस्त का बेचान कर रहे है, तथा भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही व्यवसायिक उपयोग उपभोग करेगें तथा जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से निवेदन किया कि वे पहले भूमि विवादग्रस्त का विधिवत रूप से तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस करवा ले, फिर बेचान करें, जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 उग्र हो गये तथा वादी को एलानिया धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का अतिशीघ्र बेचान, हस्तान्तरित करके रहेगें तथा भूमि में व्यवसायिक कार्य करेगें ता वादी को उसके हक हिस्से से जबरिया बेदखल करके रहेगें तथा विधिवत तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस करवाने से साफ इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने दिनांक 11.09.2020 को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें, जिस पर प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने वादी को कोई सन्तुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया इस कारण वादी को न्यायालय में यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1393 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–2 लगान निर्धारण किया जावे । प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील वादी को बंटवारा रिपोर्ट पर सुना गया । वकील वादी ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 1393 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम नायन तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे –

1. आ.ख.नं. 1393/1 रकबा 0.06 है0 , भूमि वादी के हिस्से में रहेगी ।

2. आ0ख0नं0 1393/2 रकबा 0.30 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 अमरनाथ पुत्र नन्दलाल का हिस्सा 17/18 जाति ब्राहम्ण सा0 देह और प्रतिवादी सं. 2 प्रभुदयाल पुत्र नारायण का हिस्सा 1/18 जाति अहीर सा0 देह के हिस्से में रहेगी।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-9-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

कलक्टर ... (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 49/2020

उनवान

1 शंकर लाल अग्रवाल पुत्र रामजी लाल जाति महाजन नि0 मकान नं. 204, आर्य नगर, मुरलीपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. अमरनाथ पुत्र नन्दा लाल जाति ब्राहमण निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
2. प्रभूदयाल पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 1393 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम नायन तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे –

1. आ.ख.नं. 1393/1 रकबा 0.06 है0 , भूमि वादी के हिस्से में रहेगी ।

2. आ0ख0नं0 1393/2 रकबा 0.30 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 अमरनाथ पुत्र नन्दलाल का हिस्सा 17/18 जाति ब्राह्मण सा0 देह और प्रतिवादी सं. 2 प्रभुदयाल पुत्र नारायण का हिस्सा 1/18 जाति अहीर सा0 देह के हिस्से में रहेगी।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 30-9-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	